the Government of Nepal through regular exchange of high-level visits and bilateral mechanisms like Joint Commission Meetings, Home Secretary level talks, Bilateral Consultative Groups on security issues. A Joint Working Group on Border Management is also set up. All issues of relevance and importance, including security-related issues and even issues regarding printing of fake notes, are covered through these agreements.

SHRI ANIL DESAI: May I know from the Minister through you, Sir: Do we have any bilateral treaties with the neighbouring countries regarding extradition of fugitives, marked criminals and do we also have any bilateral pacts to address the menace of illegal migrants, which our country faces the most?

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, regarding those who have committed the offences and are taking asylum or are residing in those States, we have made efforts. And as you know, in the case of Pakistan, we have taken steps to bring back such people. In fact, Dawfod Ibrahim who has been designated as a terrorist by the U.N., all the member countries have the obligation to take action against him and such offenders who are in their countries.

SHRI D. RAJA: Sir, my question is in relation to our engagement with Sri Lanka. The answer says, MoU for the establishment of a collaborative relationship to combat transnational illegal activities at sea and develop regional cooperation, signed on 9th May, 2018. Sir, I am asking the Minister to give some details. What are the transnational illegal activities identified by both countries, Sri Lanka and India, and what is this collaborative relationship?

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I will have to get the further details of the agreement as part of this, and I will bring it to the notice of the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please send this information to him.

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sure, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Q.No. 68.

संस्कृत महाविद्यालय

*68. **श्री रेवती रमन सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संस्कृत महाविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में संस्कृत अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं;

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भर दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में 1100 संस्कृत महाविद्यालय हैं।

(ख) सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत शिक्षकों के कुल 77 पद रिक्त हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों को छह महीने के अंदर अपने दिशा निर्देशों के अनुसार पत्र दिनांक 04.01.2019 द्वारा सभी रिक्त शिक्षण पदों को भरने का आदेश जारी किया।

(घ) सरकार ने संस्कृत महाविद्यालयों सहित संस्कृत शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. संस्कृत पाठशाला के छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति का पुरस्कार कॉलेज स्तर पर प्रदान किया जाता है।
3. विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्कृत के उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
4. सेवानिवृत्त संस्कृत के विद्वानों को शिक्षण के लिए शास्त्र चूडामणि योजना के तहत नियुक्त करना।
5. भारतीय संस्थानों प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद संस्थानों, आधुनिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गैर-औपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रों की स्थापना करके, गैर-औपचारिक संस्कृत शिक्षा (NFSE) कार्यक्रम के माध्यम से भी संस्कृत पढ़ाई जाती है।
6. संस्कृत भाषा के लिए प्रतिवर्ष 16 वरिष्ठ विद्वानों और 5 युवा विद्वानों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
7. प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता, दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों का पुनर्मुद्रण।
8. संस्कृत के विकास को बनाए रखने के लिए अठारह परियोजनाओं से युक्त अष्टादशी को लागू किया जाता है।

Sanskrit colleges

†* 68. SHRI REWATI RAMAN SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of Sanskrit colleges in the country;

(b) the number of vacant posts of Sanskrit Teachers in Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi affiliated with the University Grants Commission;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) by when these vacancies are likely to be filled up; and

(d) the measures taken by Government for improvement of standard of education in Sanskrit colleges?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the house.

Statement

(a) There are 1100 Sanskrit Colleges in the country.

(b) There are 77 vacant posts of Sanskrit teachers in Sampurnanand Sanskrit University.

(c) The University Grants Commision (UGC) has issued instructions to all the Universities to fill up all the vacant teaching posts within six months as per the guidelines issued by them vide letter dated 04.01.2019.

(d) The Government has taken following measures for improvement of standard of Education in Sanskrit Educational Institutes including Sanskrit colleges:

1. Providing financial assistance to Adarsh Sanskrit Mahavidyalayas / Shodha Sansthans.
2. Award of merit scholarships to student of Sanskrit Pathasala to College level.
3. Financial assistance to NGOs / Higher Educational Institutions of Sanskrit for various Research Projects / Programmes.
4. Retired eminent Sanskrit scholars are engaged under the Shastra Chudamani scheme for teaching.
5. Sanskrit is also taught through Non-formal Sanskrit Education (NFSE) programme, by setting up Non-Formal Sanskrit learning centres, in reputed institutions like Indian Institutes Technology, Ayurveda institutions, Modern Colleges and Universities.
6. Presidential awards for Sanskrit Language are awarded annually to 16 senior scholars and to 5 young scholars.
7. Financial Assistance for Publication, Reprint of rare Sanskrit books.
8. Ataadashi containing eighteen Projects for sustaining the growth of Sanskrit has been implemented.

श्री रेवती रमन सिंह: मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में इस सदन में आज पहली बार आए हैं। मान्यवर, अगर आप देखें तो संस्कृत, जिसके पोखरियाल जी बहुत पोषक भी हैं, तो मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पूरे देश में संस्कृत के मात्र 11 हज़ार महाविद्यालय हैं और अगर आप देखें कि हमने जो सवाल पूछा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कुल कितने पद रिक्त हैं, तो आपने बताया कि अभी-अभी उन पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। ये पद कब तक भरे जाएंगे, क्या कोई समय निश्चित हुआ है कि ये कब तक भरे जाएंगे?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, मेरा सौभाग्य है कि आज से तीस वर्ष पहले मुझे उत्तर प्रदेश की विधान सभा में आदरणीय रेवती रमन सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। हम एक बार नहीं, अनेक बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप उनके सवालों के उत्तर दें, आप बताएं। ...**(व्यवधान)**...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, उन्होंने जो कहा है, यह बात सही है कि पद रिक्त हैं और पद-रिक्तता की तकनीकी कठिनाई के कारण, कुछ लोग कोर्ट चले गए थे और कोर्ट में जाने के बाद, क्या विश्वविद्यालय आरक्षण का इकाई होगा या विभाग आरक्षण के लिए इकाई होगा? श्रीमन्, वह हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट मे जाने के बाद सरकार एक अध्यादेश लायी है, अध्यादेश लाने के बाद उसको जारी कर दिया है और योजना आयोग की टिप्पणियों पर, नीति आयोग की सिफारिशों पर जिस तरीके से पदों का सृजन होना था, उस पर भी कार्यवाही हुई है, लेकिन यूजीसी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि शीघ्र से शीघ्र इन पदों को भरा जाए।

श्री रेवती रमन सिंह: मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कुल grant-in-aid पर कितने महाविद्यालय हैं और उनमें कितने पद अभी भी रिक्त हैं? उनको कब तक भरा जाएगा और मान्यवर, संस्कृत को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या कोई कार्य योजना है? यदि है, तो क्या है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, विशेषकर जो तीन बड़े संस्थान हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान - डीम्ड विश्वविद्यालय - इसके अंतर्गत 12 परिसर हैं, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय हैं और तीसरा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति है। इनके तहत जितने भी संस्थान हैं, उनको जो वेतन जाता है और उससे जो संबंधित संस्थान जुड़े हुए हैं, उनको भी वित्त पोषित किया जाता है। जहां तक आपने कहा कि संस्कृत के उत्थान की दिशा में गवर्नमेंट की आगे क्या योजना है, श्रीमन्, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों के शोध संस्थानों के लिए विधि सहायता दी जाती है, ताकि वे शोध कर सकें, उसे उच्च स्तर का कर सकें। संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों को योग्यतावृत्ति, छात्रवृत्ति पुरस्कार दिया जाता है और वह कॉलेज को दिया जाता है। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए, चाहे वे गैर-सरकारी हों, चाहे सरकारी, इनके लिए भी संस्कृत के उत्थान की दिशा में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान है। जो सेवानिवृत्त संस्कृत के विद्वान हैं, उनको भी दिया जाता है। भारतीय संस्थानों ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': प्रौद्योगिकी, आयुर्वेदिक तमाम ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, अगला सवाल आप पूछिए।

श्री शिव प्रताप शुक्ल: मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे स्वयं भी साहित्यकार हैं और अच्छे साहित्यकार हैं। संस्कृत के विषय में जो कक्षाएं हैं, उनमें प्रथमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री और आचार्य की स्थिति है। जैसे अन्य विषयों में पी.एच.डी. तक करने के अवसर होते हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताना चाहेंगे और सदन को अवगत कराना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अन्य विषयों में उनके समकक्ष नौकरियों का प्रावधान है, अभी तक की स्थिति यह है कि संस्कृत के जो विद्यालय हैं, पूर्णत: प्रथमा, मध्यमा ये सब बंद होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, जबकि संस्कृत हमारे देश की प्राकृत भाषा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस प्रकार के लोगों को नौकरियों का संरक्षण दिया जाएगा, जिससे संस्कृत को बढ़ावा दिया जा सके?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, यह बात सही है कि देववाणी संस्कृत बहुत साइंटिफिक भाषा है और पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि भविष्य में कंप्यूटर युग के लिए सर्वाधिक उपयोगी संस्कृत भाषा है। जो उन्होंने प्रश्न किया है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप उनके सवाल का जवाब दीजिए।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': प्रथमा, मध्यमा और जो विषय है, तो महाविद्यालयों को पोषित करने का विषय राज्यों का होता है, लेकिन जहां तक दूसरा सवाल किया है कि उत्तर मध्यमा हो, शास्त्री हो, आचार्य हो, उनको वे समरूप सुविधाएं मिलें, जो बी.ए., एम.ए. या इण्टर को मिलती हैं। श्रीमन्, इसमें व्यवस्था है, यदि कहीं कोई शिकायत होगी, तो उसको देखा जाएगा।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I appreciate that Sanskrit is a great language. You spoke about the greatness elaborately. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: मैं ऑलरेडी एक पार्टी से एक व्यक्ति को समय दे चुका हूं।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, my question is, in the Central Sanskrit University, Tirupati, reservation principle is violated. Two weeks back, I personally met the Chairman, UGC, on this question with a delegation. He promised that it would bhe rectified very soon. But nothing has happened till date. Sir, would you kindly look into this and solve the issue?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, राज्य के संस्कृत विश्वविद्यालय सहित लगभग 12 संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं और यह बात सही है कि इनमें जो पदों की रिक्तता है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: उन्होंने तिरुपति संस्कृत संस्थान के बारे में पूछा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': सर, उसमें तिरुपति संस्कृत संस्थान भी महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसके बारे में मैंने कहा है। मैंने पहले ही कहा था कि तिरुपति हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण डीम्ड विश्वविद्यालय है। उसमें जितने भी पद रिक्त हैं, उनको शीघ्र भरे जाने के निर्देश जारी हो गए हैं।

श्री उपसभापति: श्री हुसैन दलवई जी। प्लीज़, प्लीज़, he has replied.

श्री हुसैन दलवई: संस्कृत विद्यालय के बारे में नोट चला है, अच्छी बात है। वैसे मदरसे भी बड़े पैमाने पर हैं और वहां पर सरकार की मदद मिलती है। वहां पर भी बड़े पैमाने पर टीचर्स की जगह ...**(व्यवधान)**... खाली है।

श्री उपसभापति: सवाल संस्कृत के बारे में हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई: तो क्या सरकार उसके बारे में ...**(व्यवधान)**... भी विचार करेगी?

श्री उपसभापति: माननीय हुसैन दलवई जी, सवाल संस्कृत के बारे में है। ...**(व्यवधान)**... आप रहने दें। हम अगले सवाल पर मूव करते हैं।

डा. अशोक बाजपेयी: मान्यवर, आपने अवसर दिया है।

श्री उपसभापति: नहीं, अवसर नहीं दिया। मैंने बैठने के लिए कहा है। प्रश्न संख्या 69.

Discrepancies in EVM manufacturing

*69 SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government has received many complaints about the discrepancies in EVMs manufacturing in 373 constituencies during the recent Lok Sabha election;

(b) if so, the details thereof and Government's response thereto;

(c) whether it is a fact that there is any mismatch regarding the voter turnout/ votes polled data on EVMs and votes counted on EVMs in that elections; and

(d) if so, details thereof?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Election Commission of India (ECI) has informed that no such complaint has been received in the Commission.

(b) Does not arise.

(c) The ECI has informed that there is no factual difference regarding the voter turnout/and vote counted on Electronic Voting Machines in Lok Sabha elections, 2019.

(d) Does not arise.

श्री संजय राउत: उपसभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने कल इसी सदन में कहा था कि जनादेश और ईवीएम पर सवाल करना देश का अपमान है। जब खुद का सामर्थ्य न हो तो फिर हार का ठीकरा